संख्या–2220 /आठ–2–2011–01मा.का.यो./11

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रमुख
हाउसिंग एण्ड अर्बन डवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (हुडको)
पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक 8 अगस्त, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने के लिए हुडको के पक्ष में लेटर आफ कम्फर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासन द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु ई.डब्लू.एस. श्रेणी के भवनों के निर्माण के लिए कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि हुडको से दुर्बल आय वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण लेने का निर्णय लिया गया है। योजना के तृतीय चरण में कुल 42484 भवन निर्मित किए जा रहे हैं। प्रति भवन लागत रू0 2.70 लाख है।

2– हुडको से ऋण प्राप्त करने के लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा अपने से संबंधित जनपदों में निर्मित होने वाले भवनों की कुल लागत का 50 प्रतिशत ऋण लेने के लिए हुडको में नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

3– विकास प्राधिकरणों में योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वयं तथा

अपने ग्रुप के अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए भवनों की कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि ऋण लेने के लिए नियमानुसार हुडको में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

4— हुडको से प्रस्तावित ऋण की मूल धनराशि तथा ब्याज के भुगतान के लिए शासन द्वारा हुडको को शासकीय गारन्टी दी जायेगी तथा ऋण की मूल धनराशि एवं ब्याज के प्रतिदान हेतु प्रतिवर्ष आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा आवश्यक धनराशि का बजट में प्राविधान कराया जायेगा। उक्त धनराशि अनुदान के रूप में ऋणग्रहीता संस्थाओं—उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा उक्त चारों विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध करायी जायेगी।

5— ब्याज की गणना उक्त ऋण की धनराशि हुडको से विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी।

6— ऋण की प्राप्ति तथा उसकी अदायगी में विलम्ब होने अथवा किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर हुडको तथा शासन द्वारा आपसी सहमति से निराकरण किया जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 2220 (1)/आठ–2–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।

4– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/समाज कल्याण/नगर विकास/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

7– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।

8– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–4/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8

9– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव।